

(अधिकार विवेचन बलर्क) के रूप में और कुछ उच्च अधीक्षित लिपियों को निम्न अधीक्षित लिपिक (लोकप्रिय विवेचन बलर्क) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

**बीरभुपुर-इनाहावाद सेक्टर पर
रेल दुष्पट्टा**

5010. श्री वाजपेय तिह तुशवाह :
श्री हुकम चाह जाहावाद :
श्री निहाल तिह :

वया रेलवे मधी 9 जून, 1967 के अताराकित प्रश्न संख्या 2001 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 दिसम्बर, 1966 को गोरखपुर-इनाहावाद सेक्टर पर हुई रेल दुष्पट्टा के लिये उत्तरदायी ठहराये गये अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाही की गई है;

(ख) यदि हा, तो नत्सवधी ओरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस में और कितना अन्य लगने की समावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री डॉ मूरु मुमाला) :
(क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठा।

(ग) इस दुष्पट्टा के लिये जिम्मेदार ठहराये गये कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में अनुशासन एवं अधीक्षित नियमों के अन्तर्गत आव हो रही है।

मधुरा ज़क्कान के रेलवे विवेचन-बलर्क

5011. श्री वाजपेय तिह तुशवाह :
श्री हुकम चाह जाहावाद :
श्री निहाल तिह :

वया रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सध है कि मधुरा ज़क्कान के टिकट-परीक्षकों ने बड़े पैमाने पर अधिक-हुत विक्रेताओं द्वारा खात पदार्थ देने जाने के बारे में जिस के परिणामस्वरूप रेलवे भोजन-व्यवस्था विभाग का प्रतिमाम हजारों रुपये की हानि होती है, रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्री, राज्य के मुख्य मंत्री तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों को कोई शिकायत भेजी है;

(ख) क्या यह भी सध है कि इस अन्तर्धिकृत विक्री को राकोने के लिये स्टेनन मास्टर और रेलवे सुरक्षा दल द्वारा कोई कार्रवाही नहीं की गई है और जब टिकट-परीक्षकों ने ऐसा करने का प्रयास किया, तो उन की हत्या करने का प्रयत्न किया गया; और

(ग) इस शिकायत पर सरकार ने क्या कार्रवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री डॉ मूरु मुमाला) :
(क) मध्य रेलवे, लासी के मण्डल अधीक्षक के नाम मधुरा ज़क्कान के टिकट-क्लबर्डों का एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग), इस आमले की वाच-पढ़ाव की जाही।